भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3571

उत्तर देने की तारीख : सोमवार,16 मार्च, 2020

26 फाल्गुन, 1941 (शक)

हिन्दू धार्मिक स्थलों के रख-रखाव के लिए निधि

3571. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिंदू धार्मिक स्थलों के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए निधि प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन धार्मिक स्थलों पर दान के रूप में मिलने वाले धन का हिंदू धार्मिक स्थलों और अन्य सामाजिक विकास कार्यों के लिए व्यय किया जाता है: और

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य पंथों से संबंधित व्यक्तियों के विकास के लिए उक्त निधि का उपयोग करने के लिए कोई प्रणाली/नियम/अधिनियम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए बजटीय आवंटन के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें हिंदू धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिंदू धार्मिक स्थलों सहित देश में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	किया गया व्यय (लाख रू. में)
1	2016-17	30129.37
2	2017-18	41076.79
3	2018-19	40502.01

(ख) और (ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन किसी धार्मिक स्थल द्वारा प्राप्त दान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई नियंत्रण नहीं है।